

प्रेस नोट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर दिनांक 27.03.2023

नाबालिग के साथ छेड़खानी करने व दुष्कर्म करने का प्रयास के आरोप में अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा "अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी" के संबंध में चलाये जा रहे अभियान व महिला सम्बन्धी आपराध के रोक थाम हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर जनपद गोरखपुर व क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ गोरखपुर के कुशल निर्देशन में उ०नि० रविन्द्र कुमार दूबे द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 233/2023 धारा 354,376,511 भादवि० व 7/8 पाक्सो एक्ट से सम्बंधित अभियुक्त सत्या प्रसाद गौड़ पुत्र रामबुचुन गौड़ निवासी सेमरा न० 2 गुलरिहा हा०पता लक्ष्मी निवास बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही हैं।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

सत्या प्रसाद गौड़ पुत्र रामबुचुन गौड़ निवासी सेमरा न० 2 गुलरिहा हा०पता लक्ष्मी निवास बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

233/2023 धारा 354,376,511 भादवि० व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का नाम-

1. उ०नि० रविन्द्र कुमार दूबे थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
2. का० रोहित गुप्ता थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
3. का० अखिलेश कुमार यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर
4. का० दिलीप कुमार यादव थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर